31.8.92

सिटी बोर्ड (नगर परिषद) जौनपुर की बैठक दिनांक 31.8.92 दिन सोमवार अपरान्ह 5.00 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, सिटी बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुयी जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें, उनके नाम व कार्यवाही निम्नप्रकार है।

1	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष।
2	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	मान्य समासद
3	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	" "
4	" मुख्तार अहमद	" "
5	" हाजी मो० सलीम	" "
6	" डा कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	" "
7	" नरेन्द्र बहादुर सिंह	" "
8	" राम अधार यादव	" "
9	" सोमनाथ आर्य	" "
10	" बाबूलाल गुप्त	" "
11	" विद्यासागर सोनकर	" "
12	" शिवकुमार गुप्त	" "
13	" मिठाई लाल	" "
14	" दयाशंकर गुप्त	" "
15	" मिर्जा जमाल हुसैन	" "
16	" अमरनाथ	नामित समासद
17	" रमजान खाँ	मान्य समासद
18	" गणेश नारायण रावत	" "
19	" रविन्द्र प्रताप सिंह	" "
20	" दूबलाल	" "
21	" सै० मेंहदी हसन	" "
22	" लक्ष्मी नारायन यादव प्रतिनिधि श्री अर्जुन सिंह यादव, सांसद जौनपुर	

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर
31.8.92

सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड जौनपुर
31.8.92

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय की अनुमति व निर्देश पर इस पालिका में निम्नलिखित अधिशासी अधिकारी श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, जलकल अभियन्ता श्री हेमन्तकुमार पाण्डेय, अवर अभियन्ता (जल) श्री वीरेन्द्रकुमार सिन्हा, द्वारा सदन को अपना परिचय दिया गया।

बैठक की कार्यवाही शुरू होने पर सर्वप्रथम डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद, सदन में खड़े होकर कहा कि मैं सदन में काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष जी की अकर्मण्यता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार एवं घोटाले से मैं असन्तुष्ट हूँ क्योंकि बार-बार के अनुरोध पर ① बैठक समय से नहीं बुलायी जाती उन्होंने कहा कि जब 1992 के माह अगस्त में 'अबतक' यह मात्र तीसरी बैठक है।

② नगर की जमीनें जो नगरपालिका की है, उसे या तो आवंटित कर दिया गया है अथवा बेच दिया गया है

③ मोहल्ला वाजिदपुर (दक्षिणी) व मियाँपुर में फर्जी सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 3.00 (तीन लाख) रुपये का घोटाला किया गया है

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जहाँ तक बोर्ड की बैठक बुलाने का सम्बन्ध है, यह सभी मान्य सभासद जानते हैं कि मेरी आँख की खराबी के कारण बैठक नहीं बुलाई जा सकी थी और कोई उपाध्यक्ष भी नहीं था, इसीलिए बैठक नहीं हो सकी थी। इस पर डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि माननीय अध्यक्षजी, हमलोग आपकी आँख के दुःख से दुःखी हैं, किन्तु अप्रैल 92 में बैठक बुलाने के ४ माह बाद बैठक इतने लम्बे अन्तराल पर बुलाया जाता कहाँ तक जनहित में न्यायसंगत है, अध्यक्ष महोदय स्थिति स्पष्ट करते हुये बोले कि मई 92 में मैंने ऑपरेशन कराया तथा जुलाई 92 में पुनः

31.8.92

चिकित्सक के द्वारा बुलाये जाने पर जाना पड़ा, डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि आपको (अध्यक्ष महोदय को) आँख दिखलाने के पश्चात आये हुए कम से कम एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तो फिर क्यों नहीं बैठक बुलाई गयी, फिर बैठक भी महीने के अन्त में बुलाई जाती है, यही बैठक और पहले क्यों नहीं आयोजित की जाती। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट करते हुए बताया कि ~~मैंने~~ मैंने 3 अगस्त 92 को बैठक रखवा था परन्तु अधिशासी-अधिकारी डा० डी०सी०सक्सेना का स्थानान्तरण हो गया था, इस कारण से तथा जल्द ही नये अधिशासी-अधिकारी के पदभार ग्रहण करने साथ ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह समारोह पर जाने के कारण बैठक की तिथि बाद में ही नियत करनी पड़ी जिसके कारण ही आज बैठक बुलायी गयी है। बैठक न बुलाये जाने सम्बन्धी स्पष्टीकरण से आश्वस्त होने के पश्चात मान्य सभासद डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मियांपुर (श्रीमपुरा) तथा वाजिदपुरा (दाढ़ीमी मुहल्ले) में फर्जी प्रशिक्षण केन्द्र सिलाई के नाम से चलाये जा रहे हैं, जिसमें लगभग 3.00 तीन लाख रुपये का घोटाला है, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि वह सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र फर्जी है तो उनकी जाँच करा ली जायेगी। इस पर वाजिदपुर (दाढ़ीमी) से चुने गये मान्य सभासद श्री मिठाईलाल ने डा० कृष्णकुमार मान्य सभासद की बातों का खण्डन करते हुये वाजिदपुरा (दाढ़ीमी) मुहल्ला में सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र के चलने की बात दोहरायी तथा उसकी पुष्टि भी किया और यह भी कहा कि मैंने उक्त प्रशिक्षण केन्द्र का सत्यापन भी किया है

इस पर डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव व श्री मिठाई लाल, दोनों मान्य सभासदों में कहा सुनी तर्क वितर्क होने लगा, अन्त में डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने अध्यक्ष से उक्त दोनों सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों का सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच कराने की माँग की गयी। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस जाँच के लिए ए०डी०एम० ही सक्षम अधिकारी है। उसमें बोर्ड द्वारा किसी प्रकार का व्यय नहीं है अन्त में सदन में अन्य सभासदों द्वारा भी जाँच कराये जाने पर बल दिये जाने पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है, इस मामले में उपजिलाधिकारी-अधिकारी को जाँच हेतु आदेश दिये जायेंगे।

श्री रमजान खाँ, मान्य सभासद ने सदन में 17 सभासदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव कि अध्यक्ष महोदय को बोर्ड की पहली बैठक में दिये गये 80 अस्सी हजार रुपये के व्यय के शक्ति प्रतिनिधायन को समाप्त करने सम्बन्धी प्रकरण को एजेन्डे में न लाये जाने के प्रति रोष व्यक्त किया गया, और पूछा गया कि उक्त प्रस्ताव को एजेन्डे में क्यों नहीं लाया गया, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उसमें कुछ लोगों के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं थे, और उन लोगों द्वारा अपना अपना हस्ताक्षर स्वीकार नहीं गया था इन कारणों से उस प्रस्ताव में त्रुटियाँ थीं उन्हीं कारणों से वह प्रस्ताव बोर्ड के एजेन्डे में सम्मिलित नहीं किया गया था, इस पर श्री रमजान खाँ, मान्य सभासद ने कहा कि आप किसी हस्ताक्षर के विशेषज्ञ नहीं है प्रस्तावित प्रस्ताव में सम्बन्धित सभासदों के हस्ताक्षर थे, आपको उक्त प्रस्ताव एजेन्डे में सम्मिलित करना चाहिये थे इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसे विशेष प्रस्ताव के रूप में लाया जाय तभी बोर्ड की बैठक में रखा जा सकेगा, इस पर श्री रमजान खाँ, मान्य सभासद ने कहा कि नामान्तरण के अधिकार मुझे दे दिए जाय, अध्यक्ष महोदय ने

31.8.92

कहा कि जिस पत्रावली विशेष में नाम चाहते हैं, वह पत्रावली आपको दिखला दी जायेगी, जिसमें नाम दर्ज होना है, जिस पर श्री कृष्ण कुमार, सभासद द्वारा अध्यक्ष महो० से अनुमति लेने के लिए कहा गया। श्री लाल, सभासद ने सदन में यह प्रश्न किया कि एक नामान्तरण की पत्रावली है, उस पर अभी तक आदेश पारित नहीं किया गया है, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्बन्धित कर अधीक्षक ने बताया कि उस पत्रावली में नोटिस आदि सम्बन्धित पार्टी को दे दी गयी है, कार्यवाही चल रही है, इस पर श्री लाल, मान्य सभासद, श्री कृष्ण, सम्बन्धित पत्रावली सदन में प्रस्तुत करने की मांग की गयी। और कहा गया कि उक्त पत्रावली में मेरा नाम दर्ज [illegible] नहीं है। अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर कर अधीक्षक द्वारा उक्त, श्री अली मोहम्मद की नामान्तरण पत्रावली सदन में पढ़ी गयी, जिसमें अली मोहम्मद के आवेदनपत्र में श्री रिजवान खाँ का भी नाम दर्ज करने हेतु लिखा गया था, तब श्री रिजवान खां, मान्य सभासद ने कहा कि इस फाइल से मेरा मतलब नहीं है। इस पर सदन में मान्य सभासदों के बीच विपरीत प्रतिक्रिया हुई। उपरोक्त के पश्चात प्रस्ताव पर विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ।

विशेष प्रस्ताव :-

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
1 सिटी-बोर्ड, जौनपुर के लिये कर निर्धारण को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में कर अधीक्षक की आख्या दिनांक 16-5-1992 कि कर निर्धारण जो 1977-78 में हुआ था, और 1983 में समाप्त होकर वर्ष 1984 में पुनः कर निर्धारण होना चाहिये था, जो कतिपय व्यवधानों के कारण संभव नहीं हो पाया था, इस लिये बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सुधार में पूर्णो०	सर्व सम्मति से स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

निर्णय:-

प्रस्ताव
म्युनिसिपेलिटीज ऐक्ट 1916 की
धारा 141(2) एवं 145(1) में
दिये प्राविधानानुसार नगर पालिका
परिषद (अब सिटी-बोर्ड) जौनपुर की सीमा
में स्थित भवनों पर पंचवर्षीय कर
पुनर्निर्धारण करने की कार्यवाही
प्रारम्भ करने विषयक प्रस्ताव जो
बोर्ड की बैठक दिनांक 25.5.92
के क्रमांक 2 पर विशेष प्रस्ताव
के रूप में लाया गया था, पर विचार
विमर्श के पश्चात यह सहमति पायी
गयी थी कि उक्त प्रस्ताव वित्त
कमेटी के माध्यम से बोर्ड की बैठक
में अनुमोदन हेतु भेजा जाय, के क्रम
में वित्त समिति की बैठक दिनांक
11.8.92 के प्रस्ताव सं० 6 के अन्तर्गत
उक्त कर निर्धारण
पुनर्निर्धारण किये जाने पर सहमति
पायी गयी, सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव परिषद
अनुमोदन हेतु।

2. पालिका के दैनिक कार्यों के दृष्टिगत पालिका कार्यहित में
संचालन हेतु अधिशासी-अधिकारी. श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय,
सिटी-बोर्ड जौनपुर को पालिका निधि अधिशासी-अधिकारी, सिटी
से 10,000=00 रुपये (दस हजार रुपये) बोर्ड जौनपुर को, पालिका
की वित्तीय शक्ति का प्रतिनिधायन निधि से 5,000-00 पांच
किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव जिस पर हजार रुपये व्यय करने की
16 मान्य सभासदों ने अपनी सहमति शक्ति प्रतिनिधायन की
प्रदान की है, परिषद अनुमोदन हेतु। स्वीकृति सर्वसम्मति से
दी गयी।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी-अधिकारी
सिटी-बोर्ड जौनपुर।
31.8.92

सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड
जौनपुर
31.8.92

सामान्य प्रस्ताव

प्रस्ताव	निर्णय
1. पिछली बैठक दिनांक 25-5-92 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पढ़ी गयी। सर्व सम्मति से पुष्ट की गयी।
2. सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1992-93 के माह मार्च अप्रैल, मई जून 92 का मासिक आय-व्यय लेखा जो वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.5.92 में मार्च-अप्रैल 92 का आय-व्यय प्र० सं० 2 द्वारा तथा मई व जून 1992 का आय-व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.8.92 के प्रस्ताव सं० 3 के अन्तर्गत पारित हो चुका है, परिषद स्वीकार्थ व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया. स्वीकार।
3. नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत भवनों पर गृहकर आरोपण के लिये बनाये गये वर्तमान नियमों जो विज्ञप्ति सं० 1062/11-डी०सी० दिनांक 24-5-1916 द्वारा प्रकाशित तथा विज्ञप्ति सं० 3567/23-60 (49-52) दिनांक 26-6-52 तथा सं० 124/तेईस-60/(49-52) दिनांक 13-10-52 द्वारा संशोधित किये गये हैं,	विचार विमर्श के पश्चात इस प्रस्ताव को स्थगित किये जाने पर सहमति पायी गयी।

Scanned with OKEN Scanner

	निर्णय:
प्रस्ताव:- वार्षिक भत्कोष के अनुसार मूल्य का 10% बढ़ोत्तरी किये जाने का प्रस्ताव जो वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.8.92 के प्रस्ताव सं० 2 के अन्तर्गत पारित हुआ है, परिषद स्वीकृति हेतु।	
4 प्रस्ताव का अध्योक्क कि बकाया करों की वसूली को प्रभावी ढंग से करने के दृष्टिकोण से बकाया गृहकर, जलकर, जलमूल्य की धनराशि पर 10% छूट दिया जाय, जिसकी सहमति वित्त समिति के प्रस्ताव सं० 5 दिनांक 11-8-92 के अन्तर्गत प्राप्त हुयी है, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।
5. वित्त वेतन आयोग शासनादेश सं० वे०आ०-1-944/दस-48(एम०)-88 दिनांक 1-6-92 के अन्तर्गत 1.1.92 से बढ़े हुये मँहगाई भत्ते, जिसका विवरण निम्न प्रकार है, सम्बन्धी शासनादेश परिषद सूचनार्थ।	पढ़ा गया।

1.1.92 (1) 3500.00 मूल वेतन पर } 71%

(2) 3501.00 से 6000/- तक मूल वेतन पर } 53% परन्तु कम से कम 2485/-

(3) 6,000/- से अधिक मूल वेतन पर } 45% परन्तु कम से कम 3180.00

31.8.92

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
6. पालिका जलकल विभाग प्रस्ताव कि नवनिर्मित 3 (तीन) नलकूप क्रमशः सिपाह, खिजिरपुर व नईगंज के संचालन हेतु 10 पम्प अटेन्डेंटों को पद सृजन परिषद स्वीकृति हेतु	स्वीकार।
7. उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 17 मई 1975 भाग 3 के पृष्ठ सं० 886 व 887 पर प्रकाशित विज्ञप्ति सं० 2189/23-384 (73-76) दिनांक 2-5-1975 के अन्तर्गत यू०पी०म्यु० ऐक्ट की धारा 298 (2) I ई (बी) के तहत नगर-पालिका जौनपुर (अब सिटी-बोर्ड, जौनपुर) की सीमा में तहबजारी के निमित्त बनाये गये उपनियम जो विज्ञप्ति सं० 3593/तेईस-55 दिनांक 28-6-1926 द्वारा प्रकाशित हुयी थी और जिसको बाद में विज्ञप्ति सं० 3409/23-603 (48-52) दिनांक 30-5-54 द्वारा संशोधित किया गया था, को निरस्त करते हुये निम्नांकित दर निर्धारित करके पुष्टि की जाती है और उक्त ऐक्ट की धारा 301 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशन हेतु - -	प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात यह तय पाया गया कि संशोधित दरें अधिक प्रस्तावित की गयी हैं जिस पर अभी पूर्ण रूप से विचार किया जाना संभव नहीं है, अतएव इसे फिलहाल स्थगित रखा जाय और अगली बैठक में बोर्ड के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा जाय।

31.8.92

प्रस्ताव

निम्न प्रस्तावित दरें पारित अनुमोदन हेतु

निर्णय :-

मांग मद	पुरानी दैनिक शुल्क या किराया	लागू करने हेतु संशोधित नवीन दरें, शुल्क/किराया
1. हर प्रकार के अनाज, जिसमें मुनेदानें, सत्तू और नमक तेलहन और सभी बीज (सीड्स) सम्मिलित हैं, की प्रत्येक खच्चर, बैल, भैंसा या सिर पर बोझ	.25 पैसे प्रति बोझ	1.00 एक रुपया प्रति बोझ।
2. क्रमसंख्या एक में वर्णित वस्तुओं से लदा प्रत्येक ऊँट	00.50 पैसे प्रति ऊँट	2.00 दो रुपया प्रति ऊँट
3. क्रम सं० एक में वर्णित वस्तु यदि एक बैल या भैंसा गाड़ी पर लदा हो।	1.50 पैसे प्रति गाड़ी	6.00 (छः रुपया) प्रति गाड़ी
4. क्रम सं० एक में वर्णित वस्तुयें यदि एक से अधिक बैल या भैंसा-गाड़ी पर लदा हो	3.00 प्रति गाड़ी	12.00 (बारह रुपये) प्रति गाड़ी
5. रेल द्वारा आयातित गल्ला, नमक अथवा अन्य सामान	00.25 पैसे प्रतिशत	1.00 एक रुपया प्रति बोरा/पैकेट/कार्टून।

31.8.92

प्रस्ताव :-		निर्णय :-
क्रमांक मद नाम	पुरानी दैनिक फीस या किराया	लागू करने हेतु संशोधित नवीन दैनिक फीस किराया
6. सब्जी अथवा ताजे फल के फेरी वाले	~~फेरी वाले~~ 0.50 पैसे प्रत्येक	2.00 प्रत्येक
7. एक बैल अथवा भैंसा द्वारा खींची जाने वाली फलों अथवा सब्जी से लदी गाड़ी	2.00 प्रति गाड़ी	8.00 प्रति गाड़ी
8. एक से अधिक बैल अथवा भैंसा द्वारा फलों एवं सब्जी से लदी गाड़ी	4.00 प्रति गाड़ी	12.00 प्रति गाड़ी
9. सब्जी व फलों से लदी हुयी ट्रक	6.00 ट्रक	25.00 प्रति ट्रक
10. कपड़े के फेरीदार	0.25 प्रति, 50 पैसे प्रति	2.00 प्रत्येक
11. भूमि का अस्थायी प्रयोग	50 पैसे प्रति 5 वर्ग फुट पर किन्तु 50 पैसे से किसी भी दशा में कम न होगा।	2.00 प्रति 5 वर्ग फुट जो 2.00 से कम नहीं होगा।
12. जूते वाले	50 पैसे प्रति 5 वर्ग फुट जो 50 पैसे से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।	2.00 प्रति 5 वर्ग फुट जो 2.00 से किसी भी दशा में कम नहीं होगा।

प्रस्ताव: क्रमांक मद नाम	निर्णय: पुरानी दैनिक फीस या किराया	लागू करने हेतु निर्धारित नवीन दै. फीस किराया।
13 किसानों एवं पशुओं	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
14. तरन्त का प्रयोग करने वाले	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार
15. तमोली	0.30 पैसे	1.00
16. खोमचे या मिठाई बेचने वाले	0.30 पैसे	1.00
17. भूमि पर मिठाई बेचने वाले	0.50 पैसे प्रति 5.00 वर्ग फुट प्रतिबंध 50 पैसे से कम न होगा।	2.00 प्रति 5 वर्ग फुट जो 2.00 दो रुपये से कम नहीं होगा।
18. मछली की फेरी पर	0.30 पैसे प्रति टोकरी	1.00 प्रति टोकरी
19. भूमि पर मछली बेचने वाले	0.50 प्रति फुट जो 50 पैसे से कम नहीं होगा	2.00 प्रति वर्ग फुट जो 2.00 से कम नहीं होगा।
20 मिट्टी के बर्तन पर	0.30 पैसे प्रति टोकरी	1.00 प्रति टोकरी
21. चीनी अथवा डेरी के फेरी पर	0.30 पैसे प्रति टोकरी	1.00 प्रति टोकरी
22. गुड़ फेरी पर	0.40 पैसे प्रति टोकरी	1.00 प्रति टोकरी
23 राब गुड़ फेरी वाले	1.75 पैसे प्रति ऊँट 0.30 प्रति बैल/भैंसा या टट्टू 0.25 प्रति बर्तन	5.00 प्रति ऊँट 1.00 प्रति बैल, भैंसा/टट्टू 1.00 प्रति बर्तन

3.9.91

7.

प्रस्ताव		निर्णय	
क्रमांक	मदनाम	पुरानी दैनिक फीस या किराया	लागू करने हेतु प्रस्तावित नवीन दरें, फीस-किराया
24.	घी मक्खन और खोये के फेरीदार	0.30 पैसे प्रति टोकरी	1.00 प्रति टोकरी या बर्तन
25.	मिट्टी का तेल	0.25 पैसे प्रति टीन	रु 1.00 प्रति टीन
26.	भूसा, करबी, ठेला, प्याज, कन्डी, बिनौला, अरहर, चूनी कराई, किट्टा, आमल, जलौनी, कोयला, लकड़ी, ईंट, सब्जी और खाद	0.25 पैसे प्रति	2.00 प्रति बैलगाड़ी
27.	तेल के फेरीदार	0.30 पैसे	1.00 प्रति फेरीदार
28.	तम्बाकू के विक्रेता :-	0.50 पैसे प्रति वर्ग फिट जो 50 पैसे से किसी भी दशा में कम न हो	2.00 प्रति 5 वर्ग फिट जो 2.00 से किसी भी दशा में कम न हो
29.	आइसक्रीम के फेरीदार	0.30 पैसे प्रति	रुपया 1.00 प्रति
30	बर्फ, सोडा-वाटर, आइसक्रीम के विक्रेता.	0.30 पैसे "	रुपया 1.00 "
31.	अन्य वस्तुओं के दुकानदार, जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं है।	0.50 पैसे प्रति वर्ग फुट जो 50 पैसे से किसी भी दशा में कम न हो	2.00 प्रति 5 वर्ग फिट प्रति किसी भी दशा में 2.00 से कम नहीं होगा।

निर्णय:

क्रमांक	मदनाम	पुरानी दैनिक फीस या किराया	लागू करने हेतु संशोधित नवीन दैनिक फीस-किराया
32	गेहूँ जौ भूसे से लदी बैल वाली गाड़ी पर	x	रुपया 8.00 प्रति गाड़ी।
33.	गेहूँ जौ भूसे से लदी एक से अधिक बैल वाली गाड़ी पर	x	रुपया 10.00 प्रति गाड़ी
34.	आलू के अतिरिक्त हर प्रकार की सब्जी प्रति बोझा, खाँचा या टोकरी	x	रुपया 1.00 प्रति बोझा, खाँचा टोकरी आदि
35.	आलू प्रति बोझा/बोरा	x	रुपया 1.00 प्रति बोरा

9\. नगर-पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 सूची (जी) के अन्तर्गत नोटीफिकेशन सं0 5536/तेईस-190 दिनांक 3-8-1946 एवं नोटीफिकेशन सं0 321/23-361 (48-52) दिनांक 25-10-1950 तथा नोटीफिकेशन सं0 4076/तेईस-166 (54-55) दिनांक 26-7-55 के अन्तर्गत स्वीकृत विक्रय अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में पुरानी दरों को वर्तमान मंहगाई

प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात यह तय पाया कि अभी इसे स्थगित रखा जाय और आगामी बैठक में विचार विमर्श हेतु रखा जाय।

31.8.92

निर्णय:-

प्रस्ताव:- को दृष्टिगत रखते हुये संशोधित किये जाने पर विचार, जो नि० त समिति की बैठक दिनांक 11-8.92 के प्रस्ताव सं० 8 के अन्तर्गत पारित हुआ है, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	वाहन के विवरण	वर्तमान शुल्क दर	प्रस्तावित शुल्क की दर
1.	रिक्शा एवं रिक्शा ट्राली	15.00	50.00
(अ)	रिक्शा एवं रिक्शा ट्राली प्लेट	0.50	10.00
(ब)	रिक्शा एवं रिक्शा ट्राली चालक फीस	2.00	20.00
(स)	रिक्शा एवं रिक्शा ट्राली चालक प्लेट फीस	0.70	5.00
(द)	रिक्शा एवं रिक्शा ट्राली रंगाई फीस	1.00	5.00
2. (अ)	एक्का लाइसेन्स फीस	4.00	15.00
(ब)	एक्का लाइसेन्स प्लेट फीस	0.34	5.00
(स)	एक्का चालक लाइसेन्स फीस	1.00	10.00
(द)	एक्का चालक लाइसेन्स प्लेट फीस	0.16	5.00
(य)	एक्का रंगाई फीस	1.00	5.00
3 (अ)	एक बैलिया गाड़ी लाइसेन्स फीस	4.00	30.00
(ब)	दो " " " "	6.00	40.00
(स)	तीन " " " "	8.00	50.00
(द)	क्रमांक (अ), (ब) (स) से सम्बन्धित लाइसेन्स प्लेट फीस	0.50	5.00
4.	पहिया गाड़ी लाइसेन्स फीस	0.75 प्रति पहिया	5.00 प्रति पहिया
	पहिया गाड़ी प्लेट फीस	0.50 पैसे गाड़ी	5.00 प्रति गाड़ी
5. (अ)	हाथ ठेला लाइसेन्स फीस	4.00	15.00
(ब)	हाथ ठेला प्लेट फीस	0.50	5.00

31-8-92 202

निर्णय

[प्रस्]ताव
नोट: (3) रिक्शा व रिक्शा ठेली का लाईसेन्स माह अप्रैल के प्रति वर्ष बनवाया जाना आवश्यक है, यदि वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में उसका नवीनीकरण नहीं कराया जायेगा तो वर्ष के 11 महीने की अवधि में वाहन पकड़े जाने पर दुगना लाईसेन्स फीस के साथ लाईसेन्स बनाया जायेगा।

(4) घोड़ा गाड़ी व इक्का का लाईसेन्स यदि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से 30 जून तक नवीनीकरण नहीं कराते है तो वर्ष के शेष 9 महीनों में जब भी वाहन पकड़े जायेंगे, तो दुगुना फीस लेकर लाईसेन्स बनाया जायेगा।

(5) बिना लाईसेन्स के चलाते हुये रिक्शा, रिक्शा ठेली, इक्का आदि जो भी वाहन चेकिंग में पकड़ लिये जायेंगे उन पर रु. 25/- रुपया जुर्माना जमा करने के पश्चात ही छोड़ा जायेगा।

नगर पालिका अधिनियम 1916 की | प्रस्ताव पर विचार
धारा 298 के अन्तर्गत म्युनिस्पल | नियमों के पश्चात
[उप]विधि में बताये गये लाईसेंस | पर निर्णय हुआ कि
फीस, जिसका विवरण निम्न | अभी इसे स्थगित
प्रकार है, को वर्तमान मँहगाई पर | रखा जाय, इसे
विचार करते हुये, को बढ़ाये जाने | बोर्ड की अगली बैठक
पर विचार, जिसकी सहमति वित्त | में रखा जाय।
समिति की बैठक ~~की बैठक~~ दिनांक
11-8-92 के प्रस्ताव सं० 9 के अन्तर्गत
प्रदान की गयी है, परिषद अनुमोदन
हेतु

क्रमांक	मद विवरण	पुरानी दर	नयी प्रस्तावित दर
1	आटा चक्की	10.00 प्रति वर्ष	100.00 प्रति वर्ष
2	स्पेलर	15.00 " "	150.00 " " एक स्पेलर से अधिक स्पेलर होने पर Rs100/- और प्रति स्पेलर [illegible] जायेगा।

31.0

9. प्रस्ताव — निर्णय-

क्रमांक	मद विवरण	पुरानी दर	नयी प्रस्तावित दर
3	आइसक्रीम फैक्ट्री	10.00 प्रति वर्ष	100.00 प्रति वर्ष
4	बेकरीरस फूड	2.00 "	20.00 " "
5	छोटा गोश्त/स्लाटर	3.50 "	50.00 " "
6	बड़ा गोश्त/स्लाटर	5.00 "	75.00 " "
7	उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक के लाइसेन्स चीफ नगर स्वास्थ्य अधिकारी अलीगढ़ के स्तर से निर्गत होंगे।		
	अन्य लाइसेन्स:—		
1	भूसा	2.00 प्रति वर्ष	25.00 प्रति वर्ष
2	सब्जी	2.00 " "	25.00 " "
3	जूट	2.00 " "	25.00 " "
4	जलौनी लकड़ी	2.00 " "	25.00 " "
5	चमड़े का सामान बेचने वाले	2.00 " "	25.00 " "
6	चमड़े का सामान बनाने वाले	2.00 " "	25.00 " "
7	पान	2.00 " "	25.00 " "
8	चूना फैक्ट्री	8.00 " "	100.00 " "
9	खोंचा दुकानदार	4.00 " "	25.00 " "
10	स्टोर रद्दी गोदाम	6.00 " "	100.00 " "
11	स्टोर चमड़ा गोदाम	8.00 " "	200.00 "
12	चिमड़ा तौर	2.00 " "	50.00 "
13	चमड़ा कुप्पी बनाना	2.00 " "	50.00 "
14	पेट्रोलियम स्टोर 100 गैलन	2.00 " "	100.00 "
15	" " " 300 "	5.00 " "	150.00 "
16	" " 300 से 500 "	1.50 प्रति सौ गैलन	250.00 "
17	हड्डी स्टोर करने का	6.00 प्रति वर्ष	100.00 "
18	चमड़ा स्टोर करने का	8.00 " "	200.00 "

निर्णय

क्रमांक	प्रस्ताव मद विवरण	पुरानी दर	नयी प्रस्तावित दर
	चिथड़ा गुदड़ा स्टोर	2.00 प्रति वर्ष	10.00 प्रति वर्ष
	मटके का / चमड़े की कुप्पी बनाने का	2.00 "	10.00 " "

उपरोक्त क्रमांक 1 से 20 तक के लाइसेन्स, अधिशासी अधिकारी, सिटी बोर्ड, नौगढ़ के माध्यम से / स्तर से निर्गत होंगे।

नये प्रस्तावित लाइसेन्स :-

क्रमांक	मद का नाम	प्रतिवर्ष प्रस्तावित शुल्क
	बांस बेचने वाले	50.00 प्रति वर्ष
	इमारती लकड़ी बेचने वाले	50.00 " "
	बुरादा बेचने वाले	50.00 " "
	आरा मशीन	100.00 " " प्रत्येक का
	लकड़ी के सन्दूक तथा फर्नीचर आदि बेचने वाले	100.00 " "
	कोयला लकड़ी	100.00 " "
	कोयला पत्थर	100.00 " "
	कोयला चूरा	50.00 " "
	बीड़ी के पत्ते बेचने वाले	100.00 " "
	बाध, सुतली, रस्सी, रासा बेचने वाले	100.00 " "
	चमड़ा खाल बेचने वाले	50.00 " "
	दियासलाई बेचने वाले	50.00 " "
	बोरे / तिरपाल " "	50.00 " "
	नारियल का गोला	50.00 " "
	नारियल ~~जटा~~ जटा	50.00 " "
	रुई	100.00 " "

3.8.92

निर्णय

प्रस्ताव-

क्रमांक	मद का नाम	प्रतिवर्ष प्रस्तावित शुल्क
17	कारनपीस के सामान, कपड़े (रेशम, ऊनी, सूती, कृत्रिम)	200-00 प्रतिवर्ष
18	सूत बेचने वाले	100-00 " "
19	बाल नाई	100-00 " "
20	कालीन और दरी बेचने वाले	100-00 " "
21	प्लास्टिक / प्लास्टिक की वस्तु बेचने वाले	100-00 " "
22	कागज स्टेशनी दफ्ती	100-00 " "
23	कार्ड बोर्ड पैक रखने के सामान	50-00 " "
24	बातिशाएँ	100-00 " "
25	तारकोल	100-00 " "
26	गैस	100-00 " "
27	गन्धक	100-00 " "
28	ज्वलनशील वस्तुएं - तेल मिट्टी का	50-00 " "
29	" " बांस	50-00 " "
30	" " सरपत	50-00 " "
31	" " भूसा-लकड़ी	50-00 " "
32	समस्त प्रकार के खिलौना विक्रेता	50-00 " "
33	कुम्हार का आँवा	50-00 " "

नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लाइसेन्स की फीस 50-00 प्रति वर्ष होगी।

उपरोक्त लाइसेन्स अधिशासी अधिकारी के नाम से निर्गत होंगे।

31.8.92

निर्णय

प्रस्ताव	निर्णय	
...सिटी बोर्ड औरैया का ... वर्ष 91-92 का आय व्यय का वास्तविक आय व्यय ... वित्त समिति की बैठक दिनांक ...3.92 के प्रस्ताव सं० एक के ... पारित होना है, परिषद के ... अनुमोदन हेतु।	निर्णय गत बैठक के समय विस्तृत व्यवधान हो जाने के कारण, इस पर विचार विमर्श नहीं हो पाया और सर्वसम्मति से यह तय पाया गया कि अभी इसे स्थगित रखा जाय और बोर्ड की अगली बैठक में रखा जाय।	
1. सिटी बोर्ड औरैया के सफाई विभाग के निम्न निष्प्रयोज्य यांत्रिक चालित वाहन की नीलामी कराने का प्रकरण, परिषद अनुमोदनार्थ (1) ट्रक सं० यू०एस०एक्स० 632 (2) ट्रैक्टर जेटा यू०एस०एक्स० 467 (3) ट्रैक्टर प्रताप प्रथम (4) ट्रैक्टर प्रताप द्वितीय (5) एक अदद ट्राली	सर्वसम्मति से स्वीकार। अध्यक्ष को अधिकृत किया गया, जो उच्चतम बोली स्वीकार करेंगे, अग्रेतर कार्यवाही की जाय। चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि सफाई जैसी आवश्यक सेवा के सुगम संचालन हेतु नया ट्रैक्टर के क्रय की कार्यवाही की जाय। क्रय करके पूरी रचना सदन में अगली बैठक में रखा जाय।	अध्यक्ष को उच्चतम बोली स्वीकार
2. प्रस्ताव श्री रामअवध यादव, सभासद, स्वास्थ्य समिति, जिसका समर्थन डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, श्री दयाशंकर, श्री अनुसुइया उर्फ भइया जी, श्रीमती विमला सिंह आदि मान्य सभासदों ने किया है, जो नगर में सफाई व्यवस्था के सुगम संचालन एवं नियंत्रण के लिये 18 सफाई नायक की देखरेख में कराये जा रहे कार्य, जो अब तक 3 सफाई निरीक्षकों के सुपरविजन,	स्वीकार।	

31.8.9।

प्रस्ताव	निर्णय
में चलाया जा रहा है, को बेहतर ढंग से चलाने के दृष्टिकोण से श्री हरिशंकर श्रीवास्तव, सैनिटेटर, हिन्दी-बोर्ड ऑफिस, जो इस पद के लिये अर्ह (योग्य) है, को चतुर्थ सर्किल बनाकर कार्य देने का प्रस्ताव, इस शर्त के साथ कि वे इस कार्य को अपने मूल कार्य सैनिटेशन के साथ साथ करेंगे एवं सफाई निरीक्षक के कार्य का कोई अतिरिक्त भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे, नये प्रस्तावित सर्किल में निम्न वार्ड रहेंगे (1) ठालगर वोला प्रधान (ताड़तला वार्ड) (2) रिजवी रवाँ वार्ड (3) मछरहट्टा वार्ड शेष सर्किल में पूर्व से तैनात तीन सफाई निरीक्षक पूर्ववत कार्य करते रहेंगे; परिषद अनुमोदन हेतु	
13. प्रस्ताव प्रधानाचार्या, नगर-पालिका बालिका उ0 मा0 विद्यालय, एटा औरेया बाबत माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, द्वारा कक्षा 9 व 10 में विज्ञान I (एक) की शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में लागू किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षण	स्वीकार।

प्रस्ताव	निर्णय
कार्य हेतु प्रशिक्षित स्नातक वेतन मान में एक शिक्षिका के पद सृजन का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु, जिसका व्यय भार जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से वेतन संदाय खाते से वहन किये जायेंगे।	
4. पम्पिंग प्लान्ट बाबत नगर में निर्मित मार्गों की तहबाजारी की वसूली के लिये पूर्व से तैनात 4 दैनिक मजदूरी पर रखवाये गये तहबाजारी मोहर्रिर की सेवायें 1.5.92 से 31.8.92 तक 30/- प्रति दिन प्रति मोहर्रिर की दर से समयावधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
5. पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के समुचित संचालन के लिये कार्यरत 3 दैनिक वेतन पर 30/- प्रति मिस्त्री प्रति दिन की दर से मिस्त्री की सेवायें, 1.5.92 से 31.8.1992 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।
6. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य के निस्तारण हेतु 11.10.89 के पूर्व से कार्यरत 8 स्वच्छकार की सेवायें, 1.5.92 से 31.8.92 तक 25/- प्रति दिन प्रति बेलदार की दर	स्वीकार।

31.8.92

प्रस्ताव :-	निर्णय :
16. - से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	
17. पालिका जलकल विभाग में पेयजलापूर्ति व्यवस्था क्रम में नलकूपों के संचालन हेतु 13 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवायें 30/- प्रति पम्प अटेन्डेन्ट की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.5.92 से 31.8.92 तक की समयावधि बढ़ाये जाने पर विचार, व परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
18. पालिका जलकल विभाग में पाइप लाइनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य आदि के लिये 6 बेलदारों की सेवायें 25/- प्रति बेलदार प्रतिदिन की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.5.92 से 31.8.92 तक समयावधि बढ़ाये जाने पर विचार व परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
19. आवेदनपत्र श्री महेशनारायन, प्रथम श्रेणी लिपिक, बावत बोर्ड की कार्यवाही संचालन करने सम्बन्धी समस्त ~~कार्यवाहियों~~ कार्यवाहियों को कार्यान्वित करने एवं कार्यवाही रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर-	विचार विमर्श किया गया और सदन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि, चूँकि बोर्ड की बैठके अधिकतर कार्यालय

प्रस्ताव

...से क्रमबद्ध करके लिखने आदि सम्बन्धी, इन्हें आवंटित कार्यों के अतिरिक्त इस कार्य के लिये 50/- प्रतिमाह पारिश्रमिक (कार्यरत तिथि 8.2.85 से) दिये जाने का प्रस्ताव जिस पर अधिशासी अधिकारी व मान्य सभासदगण एवं अध्यक्ष महोदय ने संस्तुति किया है, परिषद अनुमोदन हेतु।

निर्णय:

समय के पश्चात, प्रातः 8.00 बजे अपरान्ह से प्रारंभ होकर रात में समाप्त होती रहती है और बोर्ड की बैठकों में कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में एवं रात रात में कार्य करना पड़ता है, इसलिये भी परिषदीय कार्य करने का अतिरिक्त मानदेय व पारिश्रमिक का औचित्य बनता है, को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड की कार्यवाही संचालन करने, समस्त कार्यवाहियों को कार्यान्वित करने एवं कार्यवाही रजिस्टर पर श्री महेश नारायण, परिषद लिपिक द्वारा हस्तलिपि क्रमबद्ध करके लिखने हेतु 50/- पचास रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिए (कार्यरत तिथि 8.2.85 से) जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बोर्ड की बैठकों में कार्यवाही आदि आशुलिपि में लिखने एवं उसे टंकित करने एवं एजेंडा टंकित करने सम्बन्धी आशुलिपिक श्री मोहन यादव

31.8.92

	प्रस्ताव	निर्णय —
19.		को भी श्री महेशनारायण की भाँति 50/- प्रति माह पारिश्रमिक दिये जाने का प्रस्ताव इसी में जोड़ने हेतु ग्राम सभासद श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव और मान्य सभासदों ने प्रस्तावित किया, जिस पर समस्त सभासदों ने समर्थन दिया और अन्त में परिषद लिपिक श्री महेशनारायण एवं आशुलिपिक श्री श्रीमोहन यादव को उक्त परिषदीय कार्यवाही सम्पादन हेतु 50/- 50/- का पारिश्रमिक कार्योत्तर तिथि 8.2.88 से दिया जाना स्वीकार किया गया।

अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से। —

20.	शासनादेश सं० 268 ए/-9-1-91-503 (सा०स० अनु०)/91 दिनांक 11-3-92 के अन्तर्गत प्राप्त सड़क अनुदान रु 10.00 (दस लाख) से कराये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में माँगी गयी निविदाओं में संलग्न सूची के अनुसार प्राप्त न्यूनतम निविदा सम्बन्धी कार्य कराने का प्रस्ताव, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

प्रस्ताव सं० 20 दिनांक 31-8-92

शासनादेश संख्या 268 ए/9-1-90-503 (स्था० नि० अनु०)/91 दिनांक 11-3-92 से प्राप्त सड़क अनुदान रु० 10.00 लाख से कराये जाने वाले निम्नलिखित कार्यों की न्यूनतम निविदाओं की परीक्षण स्वीकृति हेतु।

क्र०सं०	कार्य का नाम	निविदा संख्या	न्यूनतम निविदादाता का नाम		न्यूनतम निविदा की धनराशि
1.	शेखपुर में श्रीवास्तव कम्पाउन्ड के मकान से प्रधान नाली खड़ंजा निर्माण	4	मेसर्स प्रेम प्रकाश सिंह एण्ड कम्पनी	18.50% कम पर	रु० 10,702=20
2.	मो० करबला में निजाम ग्रामीण के मकान से कुन्दनपुर पक्की सड़क तक सोलिंग नाली नि०	5	श्री लक्ष्मीनारायण यादव	15% कम पर	रु० 28,455=79
3.	मो० परमानन्दपुर में शिवमूर्ति गुप्ता के मकान से श्री महेन्द्र सिंह के मकान तक सोलिंग नाली निर्माण	10	मे० प्रेम प्रकाश सिंह एण्ड कम्पनी	18% कम पर	रु० 27,256=96
4.	मो० उमरपुर में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के मकान से इलाहाबाद रोड तक सोलिंग निर्माण	1	श्री हीरालाल	15.99% कम पर	रु० 13,101=53
5.	मुफ्तीमोहल्ला में श्री मुमताज के मकान से अलीबहादुर मजार तक सोलिंग निर्माण।	4	श्री दुर्गेश अग्रवाल	18% कम पर	रु० 24,422=88
6.	शेखमोहम्मद में श्री बरकतउल्ला के मकान से श्री गुलाम के मकान तक नाली सोलिंग नि०	4	श्री दुर्गेश अग्रवाल	18% कम पर	रु० 11,261=95
7.	शेखमोहम्मद में श्री आबिद के मकान से जनरलीबाग रोड तक पटरी एवं नाली नि०	8	श्री रुद्र प्रताप सिंह	21% कम पर	रु० 6005=08
8.	तोड़ाताल में श्री फुलफुरा के मकान से अमीन के मकान तक पटरी एवं नाली नि०	11	श्री तुलसी राम	20.25% कम पर	रु० 11013=67

प्रस्ताव सं० 20 दिनांक 3.8.92 (2)

मो० ...पुर में श्री द्वारिका प्रसाद के मकान से श्री राम के मकान तक खड़ंजा एवं नाली निर्माण	10	श्री फूलचन्द	19% कम पर	रु० 20,074=72
मो० ...पुर में श्री चन्द्र प्रकाश के बगल में खड़ंजा एवं नाली नि०	11	श्री फूलचन्द	18.30% कम पर	रु० 20,167=36
1. किसानगंज जैकबी रोड से वल्लभ रोड वाली किसान वाली गली कोठी वाला	9	मेसर्स प्रेम प्रकाश सिंह एण्ड कम्पनी	22% कम पर	रु० 15,599=57
2. मो० ...पुर में शंकर दयालु के मकान से नाले तक सोलिंग एवं नाली नि०	11.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	20% कम पर	रु० 28559=49
3. मो० अजीत में श्री पन्नालाल के मकान से पुरानी नाली तक नाली निर्माण	7	श्री रामचन्द्र लाल	11.25% कम पर	रु० 14,097=03
4. मो० आदमपुर में श्री हरदेव के मकान से रोड तक सोलिंग नाली निर्माण	9	श्री तुलसीराम	21.95% कम पर	रु० 15943=37
5. मो० जीवापट्टी में श्री सहदेव के मकान तक नाली निर्माण	12.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	18.85% कम पर	रु० 25173=14
6. मो० हरखपुर में श्री अनूप मौर्य के पम्पिंग सेट से कुआँ तक सोलिंग नाली निर्माण	8	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	13.20% कम पर	रु० 17879=53
7. विश्वकर्मा में श्री मुन्शी के मकान के लगभग ... निर्माण	6	श्री मे० प्रेम प्रकाश सिंह एण्ड कम्पनी	22% कम पर	रु० 3427=88
8. मो० आलमगंज में रानी बाई के मकान से 35 फीट रोड तक नाली की साइडवाल निर्माण	10.	श्री रुद्र प्रताप सिंह	21.40% कम पर	रु० 9546=58
19. आलमगंज में सब्जी सस्ता गल्ले की दुकान नं० 36 से मण्डी रोड तक पक्की फ़ि०	7	श्री तुलसीराम	20% कम पर	रु० 4763=00

कु० पृ० 30

31.8.92

प्रस्ताव सं० 20 दिनांक 31.8.92

(3)

[illegible] पी.डब्लू.डी. [illegible] से गड्डी तक नाली निर्माण	5	श्री फूलचन्द	16% कम पर	रु. 4366=82
अटाला मार्कण्डेय [illegible] मस्जिद से [illegible] तक खड़ंजा एवं नाली निर्माण	5	श्री रुद्र प्रताप सिंह	23.10% कम पर	रु. 23,965=02
स्टेशन रोड से [illegible] तक सड़क नि०	7	श्री हीरालाल	16% कम पर	रु. 1,94,253=78
[illegible] से राजा साहब फाटक से चौरा भवानी तक सड़क निर्माण	7	श्री दीपचन्द	20.25% कम पर	रु. 67,201=57
[illegible] रोड [illegible] वाला होते हुये पी.डब्लू.डी. [illegible] तक सड़क [illegible]	8	श्री हीरालाल	13.36% कम पर	रु. 2,17,908=27
				8,15,147=19

अवर अभियन्ता सिटी बोर्ड [illegible]

कार्य अधिशासी अभियन्ता सिटी बोर्ड [illegible] 31/8/92

[illegible] अभियन्ता सिटी बोर्ड [illegible]

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी सिटी बोर्ड [illegible]

परिषद् को पूरक प्रस्ताव रखा जाये।

31.8.92

Recd at 2.15pm on 31.8.92

31.8.92

निर्णय

प्रस्ताव

नगर विकास अनुभाग-1, शासनादेश सं० 6707/9-1.92 दिनांक 24.7.1992 के अनुसार चुंगी/प्रवेशकर की समाप्ति के कारण बेकार हुये कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति तथा मृत्यु के पश्चात उनके पद भी समाप्त हो जायेंगे और उन पर किसी भी कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी, किन्तु बेकार चुंगी/प्रवेशकर कर्मचारी व सफाई विभाग के मिश्रितों की मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार सेवा में रखा जायेगा, जिसका समायोजन स्थानीय निकाय में उपलब्ध अन्य रिक्त पदों से किया जायेगा, विषयक शासनादेश परिषद सूचनार्थ।

पढ़ा गया।

22. नगर विकास अनुभाग-8 शासनादेश विभागीय शासनादेश सं० 140बी/9-1.92-55(4)/92 दिनांक 6.1.92 के अनुसार एक अगस्त 1990 से नगर पालिकाओं में चुंगी कर/प्रवेश कर/सीमा कर समाप्त किये जाने के फलस्वरूप इस प्रयोजनार्थ स्थापित चुंगी चौकिया निष्प्रयोजन हो गयी हैं, को किसी भी स्थिति में बिना नीलामी निस्तारण न किया जाय, वरन नीलामी की प्रक्रिया

पढ़ा गया। यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय अधिकतम बोली जो आवे, उस पर चौकिया निस्तारण सम्बन्धी आदेश पारित कर दें तथा उसकी सूचना सदन के समक्ष-

21.8.92

प्रस्ताव:-	निर्णय
22. अपनाने के पश्चात सर्वोच्च बोली बोलने वालों के पक्ष में नीलामी की जाय, सम्बन्धी शासनादेश परिषद अवलोकन एवं तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने सम्बन्धी प्रकरण, परिषद आदेशार्थ	अगली बैठक में रखा जाये
23. अवर नगर अभियन्ता दिनांक 30.7.92 बावत सिटी बोर्ड जौनपुर में शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न नगर विकास की योजनायें जैसे नगर के सुन्दरीकरण, आई०डी०एस०एम० टी० स्कीम के अन्तर्गत आवासीय एवं वाणिज्यिक संस्थानों के निर्माण, मलिन बस्ती सुधार आदि विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित मानचित्र बनाये जाने हेतु एक ड्राफ्टमैन के पद सृजन करने की कार्यवाही के साथ साथ स्वीकृति की प्रत्याशा में श्री मो० युनुस अन्सारी, पम्प ~~ऑपरेटर~~ आपरेटर, जो मानचित्र बनाने में निपुण व जानकार है, जिनसे पहले से भी कार्य लिया गया है, से पालिका निर्माण विभाग में ड्राफ्टमैन का कार्य लेने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। अग्रेत्तर कार्यवाही की

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 31-8-92 के लिये प्रस्तुत कार्य सामग्री

आख्या का अवलोकन, सिटी
बोर्ड, जौनपुर, बावत नगर महा-
पालिकाओं की भांति दाखिल खारिज
एवं मूल्यांकन (का निर्धारण)
के उपरान्त एक प्रमाणपत्र जारी
किये जाने हेतु पालिका हित में
10/- रुपया शुल्क निर्धारित किये
जाने का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन
हेतु।

सर्वसम्मति से पाँच रुपया शुल्क स्वीकार।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
31.8.92

सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड, जौनपुर
31.8.92